HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 528/2026
URN: CFA / 833U / 2026

Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited and Anr.

----Appellants/Defendants

Versus

Jagdish Prasad and Ors.

----Respondents/Plaintiffs

For Appellant(s)	:	Ms. Gaurika Bhansali Mr. Pranav Bhansali
For Respondent(s)	:	

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

<u>Order</u>

<u>14/07/2026</u>

सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि यदि निर्णय व डिक्री दिनांक 21.11.2025 के अधीन ब्याज सहित बकाया राशि की 50 प्रतिशत राशि अपीलार्थीगण आज से 30 दिवस में अधिकरण में जमा करा दें, तो अपील के निस्तारण तक उक्त निर्णय व डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही स्थगित रहेगी। यदि पूर्व में उपरोक्त निर्णय व डिक्री के तहत अपीलार्थीगण द्वारा कोई राशि जमा करवायी गयी है, तो वह राशि इस आदेश के माध्यम से जमा होने योग्य राशि में समायोजित की जा सकेगी।

यदि प्रत्यर्थीगण द्वारा अपील में असफल रहने पर 6 प्रतिशत ब्याज सहित राशि वापस लौटाये जाने की अण्डरटेकिंग दी जाती है, तो संपूर्ण जमाशुदा राशि का भुगतान प्रत्यर्थीगण को किया जा सकेगा।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि पी.एफ. व नोटिस प्रस्तुत होने पर प्रत्यर्थीगण को नियमानुसार नोटिस जारी किए जावें

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI/8